न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 473/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

अनवान

चुन्नी लाल पिता खुमा रेगर निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

––विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री जगदीश चन्द्र चौधरी
विपक्षी : पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट ::

निर्णय दिनांकः– 3/12/19

:: निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में आराजी खसरा नं0 402, 403, 404, 420 कुल किता 04 कुल रकबा 0.32 हे0 भूमियां मोडा व देवा रेगरान निवासी गंगापुर के वारिस के नाम पर 1/2, 1/2 हिस्से से दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 साथ संलग्न है।

यह कि मोडा के वारिसान उदा व हीरा थे जिनकी मृत्यु हो जाने से उनके वारीसों के नाम नामान्तरण करण विरासत खोला गया , जिनका इन्द्राज भी जमाबन्दी सं0 2053 से 2057 में किया हुआ है।

यह कि संवत् 2054 से 2057 के बाद नये रोटेशन संवत् 2057 से 2060 की जमाबंदी लिखते समय पटवार हल्का की घोर लापरवाही से मोडा के जो तीन वारिस थे जिनका संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा था का हिस्सा संवत् 2057 से 2060 की जमाबंदी में अलग–अलग हिस्से अनुसार 1/6, 1/6 अंकित कर दिया गया ओर इसी प्रकार पटवारी हल्का ने लापरवाही बरतते हुये दल्ला पिता देवा जिसका आराजीयात में 1/2 हिस्सा निहित था का भी राजस्व जमाबंदी में 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया, जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्ध है जिनका कुलयोग भी जमाबंदी में 4/6 ही होता है। जिससे इस रोटेशन संवत् 2057 से 2060 से अब तक जो गलत अंकन चला आ रहा है उसे दुरूस्त कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् की सेवामें सादर प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:12:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

1.

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या :— 473/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

यह कि उक्त गलत इन्द्राज आज दिन तक की रोटेशन की जमा बन्दीयों में दर्ज चला आ रहा है जब कि उक्त वर्णित आराजीयात में दल्ला पिता देवा का 1/6 हिस्सा न होकर 1/2 हिस्सा है जिसे पूर्व रेकार्ड के अनुसार दुरूस्त कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

यह कि दल्ला पिता देवा का निधन दिनांक 01.07.1989 को हो चुका है जिनके तीन वारीस खुमा, काना, गंगाराम थे जिनके मध्य पारिवारिक विभाजन से उक्त भूमियों का हिस्सा खुमा के रखा गया और खुमा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस में प्रार्थी चुन्नी लाल व मेरी बहिन मु0 डाली है तथा मेरी माता मु0 मोडी है। जिनका वर्तमान में अपने हिस्से अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में अब तक दल्ला का इन्तकाल नहीं खुला है।

अतः साद प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित आराजियात में दल्ला पिता देवा का हिस्सा 1/6 के बजाए 1/2 हिस्सा दर्ज कराया जाकर उनकी विरासत का नामान्तरणकरण मुझ प्रार्थी, मेरी बहिन डाली व माता मोडी के नाम पर खोले जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया जो सूचना होने के बावजूद विपक्षी पेरोकार उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस की गई। एवं पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 298 में प्रार्थी के दादाजी दल्ला का हिस्सा 1/2 दुरूस्त होकर दल्ला के वारिसान के नाम काना उर्फ कन्हैयालाल पुत्र दल्ला हिस्सा 1/8, गंगा पुत्री दल्ला हिस्सा 1/8, गंगाराम पुत्र दल्ला 1/8, चुन्नीलाल पुत्र खुमा 1/24, डाली पुत्री खुमा 1/24, मु0 मोडी पत्नि स्व0 खुमा 1/24 रेगरान के नाम अंकित हो चुका है अतः प्रकरण खारिज योग्य है।

बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। चूंकि तहसीलदार सहाड़ा के जवाब अनुसार जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 298 में प्रार्थी के दादाजी दल्ला का हिस्सा 1/2 दुरूस्त होकर दल्ला के वारिसान के नाम काना उर्फ कन्हैयालाल पुत्र दल्ला हिस्सा 1/8, गंगा पुत्री दल्ला हिस्सा 1/8, गंगाराम पुत्र दल्ला 1/8, चुन्नीलाल पुत्र खुमा 1/24, डाली पुत्री खुमा 1/24, मु0 मोडी पत्नि स्व0 खुमा 1/24 रेगरान के नाम अंकित हो चुका ह। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर से [illegible] होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:12:03 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner